



महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

Email- registrar.msduuniversity.azamgarh@gmail.com

पत्रांक- 1210/कु0का0/2023

दिनांक- 03/03/2023

कार्यालय-ज्ञाप

उ0 प्र0 शासन के पत्र संख्या 512/सत्तर-2-2023-16(11)/2017, दिनांक: 28.02.2023 द्वारा नवीन महाविद्यालय अथवा पूर्व संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों (बी0एड0 पाठ्यक्रम को छोड़कर) में सत्र 2023-24 के लिए अनापत्ति/सम्बद्धता के लम्बित प्रस्तावों के ऑनलाइन निस्तारण हेतु अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए शासनादेश दिनांक 14.07.2022 द्वारा निर्धारित समय-सारिणी में निम्नानुसार संशोधन किया गया है :-

क्र.सं.	कार्यवाही	समय-सीमा
1	विश्वविद्यालय में नये पाठ्यक्रमों हेतु अनापत्ति प्रस्ताव आनलाइन जमा करने की अन्तिम तिथि
2	विश्वविद्यालय में ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्तावों के भूमि सम्बन्धी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराया जाना	17 मार्च 2023 तक
3	अनापत्ति आदेश ऑनलाइननिर्गत किया जाना	दिनांक 25 मार्च 2023 तक
4	निरीक्षण मण्डल का गठन	10 अप्रैल 2023 तक (1) अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत होने के पश्चात संस्था द्वारा दिनांक 03 अप्रैल तक निरीक्षण मण्डल के गठन के सम्बन्ध में आवेदन किया जायेगा। (2) तदांपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा 10 अप्रैल तक निरीक्षण मण्डल का गठन कर दिया जायेगा
5	निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या प्रस्तुत किया जाना	दिनांक 31 मई 2023 तक
6	सदस्य सचिव द्वारा आख्या को ऑनलाइन अपलोड किया जाना	दिनांक 05 जून 2023 तक
7	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता ऑनलाइन प्रदान करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 15 जून 2023 तक
8	शासन में अपील करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 30 जून 2023
9	शासन स्तर पर अपील निस्तारित करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 15 जुलाई 2023 तक

नोट:- उ0प्र0 शासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय-सारिणी की तिथि व्यतीत होने के उपरान्त दिनांक 16 जुलाई को लम्बित आवेदन पत्र पोर्टल से स्वतः विलोपित कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित संस्था को अगले सत्र हेतु नियमानुसार नवीन आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करना होगा।

अतः निर्देशित किया जाता है कि समस्त प्रस्तावित नवीन महाविद्यालय/पूर्व संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों की अनापत्ति/सम्बद्धता हेतु अनिर्वाय रूप से शासन के अनापत्ति/सम्बद्धता के पोर्टल "<https://henoc.upsdc.gov.in/>" पर समय-सारिणी के अनुसार आवेदन/अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय
(वी0पी0 कौशल)
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. जिलाधिकारी आजमगढ़ एवं मऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
4. मीडिया प्रभारी को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपर्युक्त सूचना सम्मानित दैनिक समाचार पत्रों के समस्त संस्करणों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
5. प्रभारी एजेन्सी को इस आशय से प्रेषित विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
6. गार्ड फाईल।

कुलसचिव